



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 23 मई, 1973

ज्येष्ठ 2, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1709/सत्रह-वि०-1--51-73

लखनऊ, 23 मई, 1973

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश तैदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 पर दिनांक 22 मई, 1973 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश तैदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1973)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश तैदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रोत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तैदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश तैदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (2) में शब्द "ऐसे दिनों के पूर्व और" निकाल दिये जाएं और सर्वत्र से निकाले गये समझे जायेंगे तथा शब्द "उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा" के स्थान पर शब्द "उसमें कमी नहीं की जायगी" रख दिये जायें और सर्वत्र से रखे गये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
19, 1972
की धारा 7 का
संशोधन

No. 1709(2)/XVII-V—1-51-73

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1973) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 22, 1973:

UTTAR PRADESH TENDU PATTI (VYAPAR VINIYAMAN)
(DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1973

(U. P. ACT No. 16 OF 1973)

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman)
Adhiniyam, 1972*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1973.

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 19 of 1972. 2. In section 7 of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972, in sub-section (2), the words "before such date and" shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted*, and *for* the words "and shall not be altered", the words "and shall not be reduced" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।